न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः— सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :—250/2025

प्रार्थीः—

पंकज कुमार पुत्र केशा राम जाति माली निवासी नवोडा बेरा, भीमगोडा कुसीप तहसील सिवाना जिला बालोतरा।

बनाम

विप्रार्थीः—

01. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार, सिवाना तहसील सिवाना जिला बालोतरा।
02. अणदाराम पुत्र भीमाराम जाति माली निवासी भीमगोडा
03. आम्बाराम पुत्र उदाराम जाति माली निवासी भीमगोडा
04. कलाराम पुत्र उदाराम जाति माली निवासी भीमगोडा
05. कालूराम पुत्र उदाराम जाति माली निवासी भीमगोडा
06. गोकाराम पुत्र केसाराम जाति माली निवासी भीमगोडा
07. छगनाराम जाति केसाराम जाति माली निवासी भीमगोडा
08. जितेन्द्र कुमार पुत्र भीमाराम जाति माली निवासी भीमगोडा
09. परमेश्वर पुत्र भीमाराम जाति माली निवासी भीमगोडा
10. पूरोंदेवी पत्नि उदाराम जाति माली निवासी भीमगोडा
11. पाताराम पुत्र मिसराराम जाति माली निवासी भीमगोडा
12. मु.फुलीदवी पत्नि केसाराम जाति माली निवासी भीमगोडा
13. मुकनाराम माली पुत्र भीमाराम जाति माली निवासी भीमगोडा
14. मंगलाराम पुत्र उदाराम जाति माली निवासी भीमगोडा
15. मदनलाल पुत्र उदाराम जाति माली निवासी भीमगोडा
16. रमेशकुमार पुत्र उदाराम जाति माली निवासी भीमगोडा
17. विशनाराम पुत्र मिसराराम जाति माली निवासी भीमगोडा
18. बादरराम पुत्र पुनमाराम जाति माली निवासी भीमगोडा
19. मोहनलाल पुत्र पूनमाराम जाति माली निवासी भीमगोडा
20. बैंक मैंनेजर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाख कृषि विकास शाखा—सिवाना जिला बालोतरा।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.रा.अधिनियम हेतु दुरूस्ती</u>

उपस्थित :—

श्री नेहपालसिंह, थानसिंह अधिवक्ता प्रार्थी

—:: आदेश ::—

दिनांक :— 04.02.2026

प्रार्थी द्वारा उक्त आवेदन पत्र रा.भू.रा.अ. की धारा 136 के तहत पेश किया गया है, संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 342, 337, 385 व 397 रकबा 0.0121, 1.0115, 1.6784 व 0.7075 हैक्टेयर भूमि ग्राम भीमगोडा तहसील सिवाना में अवस्थित है उक्त भूमियों में प्रार्थी का

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

नाम ''पुखराज पुत्र केसाराम'' दर्ज कर दिया, जबकि प्रार्थी के समस्त सरकारी व गैर सरकारी दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक डायरी, राशन कार्ड व ड्राइविंग लाइसेंस में प्रार्थी का नाम वास्तविक नाम ''पंकज कुमार पुत्र केशाराम'' दर्ज है इस प्रकार प्रार्थी का नाम अशुद्ध अंकित होने से प्रार्थी अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। अतः प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थी संख्या 1 की तलबी की गई। विप्रार्थी संख्या 2 से 20 को तर्क किया गया । तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रार्थी के वास्तविक नाम के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रेषित की गई। प्रार्थी ने अपने आवेदन पत्र के समर्थन में आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक डायरी, राशन कार्ड व ड्राइविंग लाइसेंस आदि प्रस्तुत किये।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी ।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम ''पंकज कुमार पुत्र केशाराम'' है, किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा विवादित भूमि खसरा संख्या 342, 337, 385 व 397 रकबा 0.0121, 1.0115, 1.6784 व 0.7075 हैक्टेयर भूमि ग्राम भीमगोडा तहसील सिवाना में प्रार्थी का नाम ''पुखराज पुत्र केशाराम'' त्रुटिवश लिख दिया जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। इस प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थी अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध व सही नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

हमने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी के आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, बैंक डायरी व पेन कार्ड आदि दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम ''पंकज कुमार पुत्र केशाराम'' दर्ज है, किन्तु विवादित भूमियों में प्रार्थी का नाम ''पुखराज पुत्र केशाराम'' करने से राजस्व रिकार्ड में अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से भी प्रार्थी का वास्तविक नाम ''पंकज

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

कुमार पुत्र केशाराम'' होने की पुष्टि होती है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खसरा संख्या 342, 337, 385 व 397 रकबा 0.0121, 1.0115, 1.6784 व 0.7075 हैक्टेयर भूमि ग्राम भीमगोडा तहसील सिवाना के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम ''पुखराज पुत्र केशाराम'' के स्थान पर ''पंकज कुमार उर्फ पुखराज पुत्र केशाराम'' दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिवाना को तद्नुसार दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 04.02.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)